

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49-ब ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 मार्च 2003—फाल्गुन 16, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2003

क्रमांक 1797.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 5-3-2003 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. खाजपेयी, उप-सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 1 सन् 2003)

## छत्तीसगढ़ विनियोग ( क्रमांक 1 ) अधिनियम, 2003

वित्तीय वर्ष 2002-2003 की सेवाओं के लिये छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम. 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) अधिनियम, 2003 (क्र. 1 सन् 2003) है.
- वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए राज्य की संचित निधि में से 519,98,49,150 रुपये का दिया जाना. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग पांच सौ उन्नीस करोड़, अन्तानवे लाख, उन्चास हजार, एक सौ पचास रुपया होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.
- विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

## अनुसूची

( धारा 2 और 3 देखिये )

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचि निधि पर भारत	योग
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)
		रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व 40,00,000	1,29,350	41,29,350
03	पुलिस	राजस्व 31,34,44,000	0	31,34,44,000
05	जेल	राजस्व 7,47,00,000	0	7,47,00,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 55,46,00,100	1,48,000	55,47,48,100
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व 64,53,000	0	64,53,000
08	धू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व 87,11,000	0	87,11,000

(1)	(2)	(3)	रुपये	रुपये	रुपये
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,49,61,000	0	1,49,61,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	21,34,62,000	0	21,34,62,000
		पूंजी	23,80,00,000	0	23,80,00,000
13	कृषि	राजस्व	2,00,000	0	2,00,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	3,59,52,000	0	3,59,52,000
15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	9,05,000	0	9,05,000
16	मछलीपालन	राजस्व	19,17,000	0	19,17,000
17	सहकारिता	राजस्व	1,07,84,000	0	1,07,84,000
18	श्रम	राजस्व	34,80,000	0	34,80,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	24,82,03,000	0	24,82,03,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	6,58,27,000	7,00,000	6,65,27,000
23	जल संसाधन विभाग	राजस्व	11,12,85,000	0	11,12,85,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	300	0	300
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	16,24,000	0	16,24,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	10,18,000	0	10,18,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	3,87,000	0	3,87,000
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	25,67,000	0	25,67,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	70,00,000	0	70,00,000
34	समाज कल्याण	राजस्व	5,00,000	0	5,00,000

(1)	(2)	(3)			
		रुपये	रुपये		
36	परिवहन	राजस्व	32,43,000	0	32,43,000
		पूंजी	27,00,00,000	0	27,00,00,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उप-भोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	99,20,63,000	0	99,20,63,000
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	21,93,73,000	0	21,93,73,000
		पूंजी	1,10,00,100	0	1,10,00,100
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	18,52,18,100	0	18,52,18,100
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	13,26,000	0	13,26,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	6,16,00,000	0	6,16,00,000
48	ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान.	राजस्व	77,12,100	0	77,12,100
		पूंजी	100	0	100
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	57,000	0	57,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	5,39,39,000	0	5,39,39,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	75,37,000	0	75,37,000
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	1,21,98,38,000	0	1,21,98,38,000
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	पूंजी	1,90,00,000	0	1,90,00,000
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना.	राजस्व	1,86,93,000	0	1,86,93,000
		पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
65	विमानन विभाग	राजस्व	86,90,000	0	86,90,000
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	5,00,000	0	5,00,000

(1)	(2)	(3)	
		रुपये	रुपये
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व 51,25,000	1,45,000
		पूंजी 1,43,34,000	0
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व 8,16,57,000	0
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व 8,78,41,000	0
योग		राजस्व 4,45,11,74,200	11,22,350
		पूंजी 74,75,52,600	0
वृहद् योग		5,19,87,26,800	11,22,350
			5,19,98,49,150

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2003

क्रमांक 1797.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विनियोग (क्र.1) अधिनियम, 2003 (क्र. 1 सन् 2003) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. बाजपेयी, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT  
(No. 1 of 2003)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No. 1) Act, 2003

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2002-2003.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-fourth year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Chhattisgarh Appropriation Act, 2003 (No. 1 of 2003).
2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Five Hundred Nineteen Crore Ninety Eight Lakh Forty Nine Thousand One Hundred, Fifty rupees towards defraying the served charges which will come in the course of payment during the financial year 2002-2003 in respect of services specified in column (2) of the schedule.

Short title.

Issue of Rs. 519,98,49,150 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2002-2003.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE  
(See Section 2 and 3)

No. of Vote (1)	Services and purposes (2)	Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly Rs.	Charged on Consolidated Fund (3) Rs.	Total Rs.
01	General Administration	Revenue 40,00,000	1,29,350	41,29,350
03	Police	Revenue 31,34,44,000	0	31,34,44,000
05	Jail	Revenue 7,47,00,000	0	7,47,00,000
06	Expenditure pertaining to Finance Department.	Revenue 55,46,00,100	1,48,000	55,47,48,100
07	Expenditure pertaining to Commercial Tax Department.	Revenue 64,53,000	0	64,53,000
08	Land revenue and district administration,	Revenue 87,11,000	0	87,11,000
11	Expenditure pertaining to Commerce and Industry Department.	Revenue 1,49,61,000	0	1,49,61,000
12	Expenditure pertaining to Energy Department.	Revenue 21,34,62,000 Capital 23,80,00,000	0 0	21,34,62,000 23,80,00,000
13	Agriculture	Revenue 2,00,000	0	2,00,000
14	Expenditure pertaining to Animal Husbandry Department.	Revenue 3,59,52,000	0	3,59,52,000
15	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions under Special Component Plan for Scheduled Castes.	Revenue 9,05,000	0	9,05,000
16	Expenditure pertaining to Fisheries Department.	Revenue 19,17,000	0	19,17,000
17	Co-operation	Revenue 1,07,84,000	0	1,07,84,000
18	Labour	Revenue 34,80,000	0	34,80,000
19	Public Health and Family Welfare	Revenue 24,82,03,000	0	24,82,03,000
20	Public Health Engineering	Revenue 6,58,27,000	7,00,000	6,65,27,000
23	Water Resources Department	Revenue 11,12,85,000	0	11,12,85,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
24	Public works-roads and bridges	Capital	300	0	300
26	Expenditure pertaining to Culture Department.	Revenue	16,24,000	0	16,24,000
27	School education	Revenue	10,18,000	0	10,18,000
30	Expenditure pertaining to Panchayat and Rural Development Department.	Revenue	3,87,000	0	3,87,000
31	Expenditure pertaining to Planning Economics and Statistics. Department.	Revenue	25,67,000	0	25,67,000
32	Expenditure pertaining to Public Relations Department.	Revenue	70,00,000	0	70,00,000
34	Expenditure pertaining to Social welfare Department.	Revenue	5,00,000	0	5,00,000
36	Transport	Revenue	32,43,000	0	32,43,000
		Capital	27,00,00,000	0	27,00,00,000
39	Expenditure pertaining to Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department.	Revenue	99,20,63,000	0	99,20,63,000
41	Tribal Areas Sub-plan	Revenue	21,93,73,000	0	21,93,73,000
		Capital	1,10,00,100	0	1,10,00,100
42	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-roads and bridges.	Capital	18,52,18,100	0	18,52,18,100
43	Expenditure pertaining to Sports and Youth Welfare Department.	Revenue	13,26,000	0	13,26,000
44	Expenditure pertaining to Higher Education Department.	Revenue	6,16,00,000	0	6,16,00,000
48	Administration Upgradation Grant Under Eleventh Finance Commission.	Revenue	77,12,100	0	77,12,100
		Capital	100	0	100
51	Expenditure pertaining to Religious Trusts and Endowments Department.	Revenue	57,000	0	57,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
55	Expenditure pertaining to Women and Child Welfare.	Revenue	5,39,39,000	0	5,39,39,000
56	Rural Industries	Revenue	75,37,000	0	75,37,000
58	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity.	Revenue	1,21,98,38,000	0	1,21,98,38,000
60	Expenditure pertaining to District plan schemes.	Capital	1,90,00,000	0	1,90,00,000
64	Special Component Plan for Scheduled Castes.	Revenue	1,86,93,000	0	1,86,93,000
		Capital	1,00,00,000	0	1,00,00,000
65	Aviation Department	Revenue	86,90,000	0	86,90,000
66	Welfare of Backward Classes	Revenue	5,00,000	0	5,00,000
67	Public Works-Buildings	Revenue	51,25,000	1,45,000	52,70,000
		Capital	1,43,34,000	0	1,43,34,000
79	Expenditure pertaining to Medical Education Department.	Revenue	8,16,57,000	0	8,16,57,000
80	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions.	Revenue	8,78,41,000	0	8,78,41,000
Total		Revenue	4,45,11,74,200	11,22,350	4,45,22,96,550
		Capital	74,75,52,600	0	74,75,52,600
Grand Total			5,19,87,26,800	11,22,350	5,19,98,49,150